

2


८६३

20178





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 251278



लख पत्र का लक्षिण विवरण


1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. परगना : बिजनौर
3. ग्राम : गरीना
4. रजिस्ट्रार का विवरण : भूमि अंतर संख्या-6258
(रजिस्ट्रार का)
5. नाम की श्रृंखला : उपरोक्त



शुभचक्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.5016 इंचेडर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेटे का सूर्यांकन	: कोई पेटे नहीं
9.	खेती/कुआ/अन्य	: नहीं
10.	प्रतिफल की मात्रा	: रु 10,54,850/-
11.	ब्याना	: रु 10,49,850/-
12.	मानिकल	: रु 1,88,600/-
13.	रकम	: रु 99,850/-

10000 रुपये का नोट, भारत सरकार द्वारा जारी

10000 रुपये का नोट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

315855

प्रथम पक्ष की संख्या-03	द्वितीय पक्ष की संख्या-01
श्रीवत्सलप्रसाद व रत्नक कुमार पुत्र रमण लीला व श्रीमती कुलाव कली स्वयं लीला निवासी -पाम-बरीना, मलाना-मिर्जापुर, महाराष्ट्र व जिला मलाना। अवसाह - रुद्रि	बाबूनाथ पुत्र गगनी निवासी-घन चूटे निधी, किलोली, जिला-रायबरेली, उ०प्र०। अवसाह-रुद्रि

विक्रय अनुमत्य पत्र मय कम्पा

उक्त पित्तल अनुमत्य पत्र गुरु प्रसाद व रत्नक कुमार पुत्र
स्वयं लीला व श्रीमती कुलाव कली स्वयं लीला
70000 रुपये कुमार मिर्जा लीला कुलाव



Handwritten signature or text at the bottom left.

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारतीय नैर

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIAN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9/3/1956


- 5 -

निवासी-ग्राम-बरीना, पल्याना-किलौटी, ताहसील व जिला
लखनऊ जिले असे विवेचानाम/प्रथम पक्ष करत गया है।

एवं

बाबुलाल पुत्र मन्गनी निवासी-ग्राम फुं निशी, किलौटी,
जिला-दाहबदेती, जयपुर, जिन्हे असे अंतरा/द्वितीय पक्ष करत गया
है के गत्य विस्थापित हुआ।

मिशन टाईम क्लर पि.ओ.बी.बी.कलरा



Handwritten signature or text at the bottom left.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 31986
[Handwritten signature]

- 5 -

यह कि विवेकानन्द, प्रथम पक्ष सत्याग्रहि भवार्थिक जला
 खानी क्रम संख्या-00484, फरवरी वर्ष 1418 से 1418 के
 खसरा संख्या-625का रकबा 0.5060 हेक्टेयर, स्थित ग्राम
 बरीना, परगना-बिजनौर, जहाजील व जिला लखनऊ के मालिक
 कागल व काबिल है तथा विवेकानन्द, प्रथम पक्ष के नाम राजश्व
 अधिकारियों में लगभग 22 वर्ष से कतोर असंक्रमणीय मुन्धिर इल
 है।

विश्वरूप शर्मा मुख

विश्वरूप शर्मा मुख

विश्वरूप शर्मा मुख

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये



FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 319845

यह कि उक्त भूमि असंक्रामणीय वर्ग है, उक्त भूमि गृह
 विभागाण/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से मौजूद है,
 उक्त भूमि भूमि सुम्हा इत विस्तार से इकाकाकार, मिस्त्र, रेहन,
 षया, हिंसा, जमानत, कर्ज़ी, कर्षक, मुचरता, सरकारी या गैर
 सरकारी बैंक ऋण, सरकारी या गैर सरकारी कारखाने आदि से
 क्लिप्त नहीं व पास साफ है, अतः सक्षम अधिकारी से उक्त भूमि
 को संक्रामणीय घोषित करवा कर तथा सक्षम अधिकारी से
 अनुमति प्राप्त कर विभागाण/प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के पक्ष

दिनांक उक्त कृतः भूमि मालिकी द्वारा



मुद्रांक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 31984B

11/11/2011

- 3 -


में विकल्प विकल्प विभाजित कर देगा। यदि उक्त भूमि का संग्रहीत भूमि में हस्तांतरण नहीं हो पाता है और तत्पश्चात् अंतर्देशीय पक्ष को उक्त भूमि को लाने से नेंद्राज विन्वा जारा है तो विकल्पप्रथम पक्ष तत्पूर्व प्राप्त विकल्प मूल्य की अनुरोध आग सहित अंतर्देशीय पक्ष को वापस करेगा।

उक्त कथनगत सूच के उसी विधा भूमि भूमि स्थित प्रथम-वर्तीना, परगना-बिजनीर, तहसील व जिला लखनऊ को अद्य-सोम व तत्पश्चात् बिना दखल नातानज किसी भीज व एक व

विकल्प प्रथम पक्ष

₹1000 प्रतीति हस्ता

विकल्प प्रथम पक्ष



...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

319856
Handwritten signature

- 9 -

सुन में मिल एवम रु० १०,५४,२६०/- (दस लाख बीस हजार अठ सी पचास मात्र) में बंता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त के हक में लेना तब पाया है। लिहजा हम उक्त पक्ष गिनालिखित शर्तों के पालन होते हैं-

1. यह कि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त तबतुहा कीमत में से बंता/द्वितीय पक्ष ने निकलागया/प्रथम पक्ष को रु० १०,४९,१५०/- (दस लाख अस्सी हजार अठ सी पचास मात्र) बंतावा के तौर पर लीये दिये गई निवृत्त

दिनांक २०/०५/२००८

की द्वारा

दिनांक २०/०५/२००८

Three circular stamps

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 029942
22 FEB 2015

- 10 -

के अनुसार अद्य कर दिया है। जिसकी प्राप्ति
विश्वनाथन/प्रथम पक्ष स्वीकार करते हैं।


2. यह कि शकाला लक्ष्मी एवं 5,000/- (पांच हजार
पचास) रुपया/द्वितीय पक्ष, विश्वनाथन/प्रथम पक्ष को पर्याप्त
समिष्टी अदा करेगा।

3. यह कि उक्त भूमि असंलगनीय है। उक्त भूमि भूमि
विश्वनाथन/प्रथम पक्ष के कब्जे में लगभग 22 वर्ष से नीचे
है। उक्त भूमि भूमि गुमनाम 82 विन्म के हस्तगत।

पिछले दफ्तर नुमा

विश्वनाथन/प्रथम

द्वितीय पक्ष



3/3/2015

भारतीय गैर-न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 045943

- 31 -

मिशन, रेल, बस, टिप्प, जमानत, सूती, कनाक, मुख्यमा, लखनौ या गैर सख्तारी बैंक क्रम आदि से लिखुन वही से एक साल है, अतः लखन आधिकारी से उत्तर भूमि को संज्ञागीत धोषित करवा कर तथा लखन आधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विवेकागण/प्रथम पक्ष, प्रजाधिकारिक पक्ष के पक्ष में लिखत विवेक लेणादि करेगा। यदि उत्तर भूमि का संज्ञागीत भूमि में हस्तान्तरण नहीं हो पाता है और प्रजा/द्वितीय पक्ष को उत्तर भूमि को लखन से वेदलत किया जाता है तो विवेकागण/प्रथम पक्ष सन्पूर्ण प्राप्त वित्तन

मिशन/प्रथम पक्ष मिशन/द्वितीय पक्ष मिशन/तृतीय पक्ष

Handwritten signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 849844
2 FEB 2017

- 12 -

मुख्य की अनुराशि ब्याज सहित प्रस्तावित/द्वितीय पक्ष को वापस करेगा।

4. यह कि विवेकाग्र/प्रथम पक्ष यदि उपरोक्त भूमि की रजिस्ट्री बसना/निष्पादित करने में हीला-चाली करता है तो प्रस्तावित/द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह स्वतंत्र अदाजत स्वतः भूमि या रजिस्ट्री बसना/निष्पादित करने का अधिकार लेवे तथा एक अदाजती परचवाली में होने वाले कार्य की जिम्मेदारी विवेकाग्र/प्रथम पक्ष को होगी।

मुख्य के नाम पर निम्न सीमा का निम्न प्रकार



उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 84994E

25 APR 1971

- 11 -

5. यह कि यदि विकचरुदा सम्मति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में भूटि के कारण या कानूनी अड़चन के कारण द्वितीय पक्ष को उसके नादितान, निष्कारकगम इत्यादि के कच्चे अधिकार या स्वत्व से निवृत्त करने तो द्वितीय पक्ष उसके नादितान, निष्कारकगम को वह एक होगा कि वह अपना समस्त मुकदमा नये हवा खर्च ब्याज प्रथम पक्ष को वह व अवल सम्मति से करिये अवल वसूल कर त उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके नादितान हवा-खर्च देने हेतु बाध्य होगे। इस विषय अनुसूच पत्र के

निष्कारकगम निष्कारकगम निष्कारकगम



Handwritten signature or mark

भारतीय नैर-न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H. 922223

- 14 -


पुर्ण का खोहं क्काथा रुदि सम्पति पर हागा मे क्कसी निम्मादारी प्रघन पक्ष व क्कले वारिदान की हागी।

6. क्क कि रक्किदी बनाराग निष्पत्ता व होने वाले खच कीले कि ल्याग शुल्क रक्किद्रेगन फीस आदि की निम्मादारी क्कला/द्वितीय पक्ष उपराका की हागी।

7. यह कि इन अनुग्न्य पक्ष हाग क्कला दिया जा रहा है। निम्मादारेण/प्रथम पक्ष व क्कला/द्वितीय पक्ष दोनों अनुग्नित खाती वें सदस्य हैं।

निम्मादारी क्कला

निम्मादारेण/प्रथम पक्ष




निम्मादारी क्कला

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 035456

- 15 -

8. यह कि उपरोक्त विक्ख जगुक्ख की शर्त हम विरन्तागण,प्रथम पक्ष व उलाविकाही विधिल प्रतिनिधि, प्रशासक व प्रैताद्वितीय पक्ष के विधिक वारिस्तान आवि पर भी लागू होंगी।

9. यह कि उपरोक्त मुनि शम नरीना, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य पाग के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 22,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत सन्वारा की भूमि

विश्व रक्षा पुनर् विपुर् विनी शाला विश्व रक्षा पुनर्


Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 035484

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

- 16 -

रकम 0.5060 हेक्टर की मलियत रु 11,33,500/-
होती है, जो रिटायर मूल्य से अधिक है, अतः नियमानुसार
मलियत पर ही रु 12,11,500/- को जगहन स्थाय्य अदा
किया जा रहे है।


यह कि आराजी अनरोकल में पेड़, ट्युबवेल, कुआँ व इमारत
आदि नहीं है तथा विद्युत आराजी की 200 मीटर की
किन्ना में कोई निर्माण आदि नहीं है और न ही आवासीय
गतिविधियाँ संचालित है।

निष्ठा कल्याण कुमार

मिडल ऑफिस, कुआँ

विद्युत विभाग

[Handwritten signature]




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48 033485

- 12 -

11. यह कि उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुनतानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
12. यह कि आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।

श्रीवाणी मन्दासि झाडि का विवरण

1. रु० 3,49,850/- (रुपया तीन लाख रुपयास हजार नीं सौ पचास मात्र) द्वारा चेक संख्या- 29284 दिनांकित 24.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा लखनऊ, लखनऊ।

श्रीवाणी मन्दासि झाडि का विवरण

भारतीय गैर-न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 403563

- 18 -

2. रू० 3,49,950/- (लग्गया तीन लाख अ्यास हजार नी सी पचास मात्र) द्वारा बँक संख्या-222519 दिनांकित 24.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा इन्दौरगंज, लखनऊ।
3. रू० 3,49,950/- (लग्गया तीन लाख अ्यास हजार नी सी पचास मात्र) द्वारा बँक संख्या-222519 दिनांकित 24.03.2011, पंजाब नेशनल बैंक शाखा इन्दौरगंज, लखनऊ।

इस प्रकार कुल बचत राशि रू० 10,49,850/- (लग्गया दस लाख अ्यास हजार आठ सी पचास मात्र) विवेकानन्द/प्रथम फा ने देना/दिलीय पत्र से बसूल पाया।

Post Office

Post Office

Post Office

Handwritten notes and signatures at the top of the page.

प्रतिभूत अर्थव्यय
विवरण


1024,850.00 1,149,150.00 10,000.00 11,104.00 1,000

द्वितीय विभाग एकत्रित प्रमाण का एक मात्र

श्री. श्री. श्री. श्री.

श्री. श्री. श्री. श्री.

Handwritten signature



प्रमाणित किया जाता है कि

श्री. श्री.

श्री. श्री.

प्रमाणित किया जाता है कि


श्री.

श्री. श्री. श्री.

Handwritten signature




श्री. श्री. श्री.




श्री. श्री. श्री.

Handwritten signature



श्री. श्री. श्री.

Handwritten signature



अतः यह विचार अनुसूच पत्र आज निर्देशागण/प्रथम पक्ष व प्रस्ता/द्वितीय पक्ष न बिना जोट द्याव राज्याध्यक्ष वित्ती शक्य के स्वस्थ गतिशक, स्वतन्त्र सहमति से अपने-अपने हस्ताक्षर/निशांनी अंगूठा लगावत आज दिनांक 24 मार्च सन् 2011 को तहदीद कर दिवा ताकि सनद रहे ओर ब्यक्त जल्दता पर काम आवे।

नोट : पृष्ठ संख्या-18 पर चेक संख्या बजट पेन से लिखी गई है।

लखनऊ

दिनांक :- 24/03/2011

गवाहान:-

1. जंगल अधिकारी
जोति = [Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. [Handwritten signature]
(Mansoorulathamul)
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

राईपकर्ता

[Handwritten signature]

(राज रामेश्वर)

विबिल ऑफिस, लखनऊ

8

[Handwritten signature]

निर्देशागण/ प्रथम पक्ष

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(पाली अगुराग)

एडवोकेट

हाईकोर्ट, लखनऊ

ये विकल्प हीनत विकल्प है।



किसी राज्य की राजधानी दिल्ली

यूएन की संविधान प्रस्ताव दिल्ली

ये विकल्प हीनत विकल्प है।

दिल्ली राजधानी, राजधानी

यूएन की संविधान प्रस्ताव दिल्ली




यूएन की संविधान प्रस्ताव दिल्ली



Handwritten text at the top left, possibly a title or reference.



Handwritten text below the first diagram, possibly a label.



Handwritten text at the bottom left, possibly a label for the diagram below.




Handwritten text at the bottom center, possibly a label.

Handwritten text at the bottom right, possibly a label or a signature.


रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिंट्स

विवेका का नाम व पता- गुरु प्रसाद पुत्र 500 लीला निवासी पाप-बरोना,
परागना जिल्ला, मध्याह्निक व जिला सखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के फिन्ट :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के फिन्ट :-




विवेका का नाम


जिल्ला के इलाका

विवेका का नाम व पता- गणेश कुमार पुत्र 500 लीला निवासी -ग्राम-बरोना,
परागना-जिल्ला, मध्याह्निक व जिला सखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के फिन्ट :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के फिन्ट :-



गणेश कुमार
जिल्ला के इलाका



बैठिका

आवृत्ति संख्या : 2578

वर्ष : 2011

पृष्ठ संख्या : 1


1001 पञ्जाब
राज्य
का नये सिने सिनेटो कायदेची
कुरी




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिंट्स

विधेता का नाम व पता- शीमली दुलारा पानी 800 लाल निवासिनी -अम बरीदा,
परमना-सिगनीर, लखसैल व जिला शयनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




केला का नाम व पता- लक्ष्मण पुत्र भगती निवासी-अम पूरे दिवे, किलीली,
जिला-शयनऊ, 8000

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



केला के हस्ताक्षर

कार क्रमांक: 2403/2011 से

पृष्ठ सं. 1 क्रमांक 12559

पृष्ठ सं. 365 से 408 तक दिनांक 1978

निम्नलिखित किया गया।

सहायक निदेशिका के द्वारा



पी.के.सिंह

रजि. निदेशिका (प्रधान)

लखनऊ

24-3-2011

